HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 1998

No. G.S.R. 10/Const./Art. 309/98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Horticultural Department (Group A) Service, namely:-

PART1-GENERAL

Short title:

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Horticultural (Group A) Service Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions:

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,--
 - (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
 - (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (c) "Government "means the Haryana Government in the Administrative Department;
 - (d) "Institution" means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

- (e) "recognised university" means,--
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
 - (iii) any other university which is declared by the Government to be recognized university for the purpose of these rules;
- (f) "Service" means the Haryana Horticultural (Group A) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service:

- 4(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,--
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No Person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than twenty one years or more than thirty-five years of age on or before the first days of the next preceding the last date of submission of application to the Commission provided that maximum age limit for the official of Haryana Government, Horticulture Department is relaxable upto forty five years.

Appointing authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment;

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

- 8. No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

- 9.(1) Recruitment to the Service shall be made--
- (a) In the case of Director,--.
 - (i) by promotion from amongst the Joint Directors, or any equivalent post; or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India; or any faculty member of any recognised Agriculture University
- (b) In the case of Joint Director,--
 - (i) by promotion from amongst the Deputy Directors; or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India;
- (c) In the case of Deputy Director,--
 - (i) $66\frac{2}{3}$ % by promotion from amongst the District Horticulture Officer, Superintendent Horticulture Pinjore and Kishanpura (Jind), Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist and State Sericulture Officer; and

- (ii) $33\frac{1}{3}\%$ by direct recruitment.
- (2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions, in respective cadres.

Probation:

10. (1)Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that:-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no reason who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,-

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy;

or

- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
- (iii) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period or probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority inter se of the members of the services shall be determined by the length of the continuous Service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by the direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by the promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the order member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve:

- 12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-
 - (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority of university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or clause (iii) except with his consent.

Departmental Examination:

13.(1) Unless exempted by the Government, every member of the Service shall be required to pass the departmental examination in Accounts and various other rules as shown in Appendix E within the period of probation, with credit:

Provided that no officer who has been promoted will be required to pass the departmental examination, if he had passed the same with credit during his Group B Service:

Provided further that the Government may for reasons to be recorded in writing extend the period for passing the departmental examination by one year:

Provided further that if the officer fails to pass the departmental examination even within the extended period the Government may for reasons to be recorded in writing exempt such officer from passing the said examination.

- (2) If a member of the Service passes the departmental examination before the prescribed period, he shall be given all the increments which would have otherwise fallen due to him at the end of the prescribed period of probation with effect from the last day on which the departmental examination was completed. This advantage will not be of cumulative nature and later increments will be due to him only on the dates on which they would have otherwise become due.
- (3) No increment shall be withheld untill the period prescribed for clearing the departmental examination is over.
- (4) If a member of the Service passes the departmental examination after the prescribed period, then the increment for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released to him from the date following the last day on which departmental examination was completed. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due, but no arrears shall be paid for the past period.
- (5) If a member of the Service fails to pass the departmental examination and is subsequently exempted by the competent authority from passing the examination, his increment (s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed shall be released from the date he is given such exemption. The increment (s) shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due, but no arrears shall be paid for the past period.

(6) If the officer neither passes the departmental examination within the prescribed period or extended period nor the Government exempts him from passing such examination, his services shall be terminated if anointed by direct recruitment or he shall be reverted to his former appointment if appointed otherwise.

Pay, leave, pension and other matters:

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties and Appeals:

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to provisions of any law or rules under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2)The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recording in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings:

21. The Punjab Agricultural Service (Class-I) Rules, 1947, or an other rule applicable to the Service corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

	APPENDIX-A							
(See rule 3)								
Sr. No.	Designation of posts	Number	of posts	Total	Scale of pay			
	•	Permanent	Temporary					
1	2	3	4	5	6			
1.	Director of Horticulture	-	1	1	Rs. 15,100-400-18,300			
2.	Joint Director of Horticulture	-	3	3	Rs. 10,000-325-15,200			
3	Deputy Director of Horticulture	-	2	2	Rs.6,500-200-8,500-EB- 200-10,500			

	APPENDIX-B (See rule 7)								
Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment						
1	2	3	4						
1.	Director of Horticulture	-	(i) Five years experience as Joint Director; or any other equivalent post.(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.						
2.	Joint Director of Horticulture	-	(i) Five years experience as Deputy Director or any other equivalent post.(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.						
3	Deputy Director of Horticulture	(a) 2 nd Class M.Sc. in Horticulture from a recognised university or institution; (b) Five Years practical experience in horticulture research or extension or both, after acquiring the minimum basic qualification; and (c) Hindi up to Matric standard.	Vegetable Specialist or Floriculturist or State Sericulture Officer.						

	APPENDIX-C [See rule 15(1)]							
Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority			
1	2	3	4	5	6			
1.	Director of Horticulture	Government	(1)Minor Penalties	Government	-			
2.	Joint Director of Horticulture		(i) Warning with a copy on the personal file					
3	Deputy Director of Horticulture		(Character Roll); (ii) withholding of promotion; (iii) censure; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company, and association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set					

up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect; *(2)* Major penalties (i) withholding of increments of pay with cumulative effect: (ii) reduction to a lower stage in the time scale of pay specified for a period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of during pay the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (iii) reduction to a lower scale pay, grade, post or service which shall ordinarily be bar to the

promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay such on restoration to that grade, post service; (iv) compulsory retirement (v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; dismissal (vi) from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts			Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Director of	(1) reducing or withholding	Government	-
	Horticulture	the amount of ordinary or		
2.	Joint Director	additional pension admissible		
	of	under the rules governing		
	Horticulture	pension;		
3.	Deputy	(2) terminating the		
	Director of	appointment of member of the		
	Horticulture	service otherwise than on his		
		attaining the age fixed for		
		superannuation.		

APPENDIX-E

(See rule 13)

DEPARTMENTAL EXAMINATION

SYLLABUS:

- (i) Introduction to Government Audit and Accounts Chapter 1, 2, 6, 10 to 20 and 21.
- (ii) Punjab Civil Services Rules, Vol. I, Part-I Chapters I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV and XV.
- (iii) Punjab Civil Services Rule Vol.II, Chapters I to VII, IX to XII of Part-I, Chapter XIII of Part-II.
- (iv) Punjab Civil Services Rules, Vol. III (Whole of it).
- (v) Financial Hand Book No. I Treasury and Sub-treasury S.T.R. Volume I (Whole of it) Volume II, Chapter II, III, IV (4.1 to 4.81 and 4.168 to 4.181) and Appendices B and C).
- (vii) Punjab Financial Hand Book No. 2 Volume II Appendices 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 and 19.
- (viii) Punjab Budget Manual, Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13,14, and 15 paragraph 15.5.
- (ix) Accounts code Volume I, Chapter 3, 4, 5 and 11.

(i)	Number of question papers	one
(ii)	Maximum marks	120
(iii)	Minimum qualifying marks	50%(with credit)
(iv)	Time allowed	3 hours
(v)	Time and date for examination	As fixed by the
		Government from
		time to time.

NASEEM AHMAD,

Commissioner and Secretary to Government Haryana Horticulture and Marketing Department.

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 5th April, 2001

In the Haryana Government, Horticulture and Marketing Department, notification No. G.S.R. 10/Art.309/98, dated the 9th October, 1998, published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 27th January, 1999, in its authorised English translation, in the Haryana Horticulture (Group A) Service Rules, 1998, in rule 9, in sub-rule (1), in clause (a).

- for "(ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India; or any faculty member of any recognised Agriculture University.",
- read "(ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India; or any faculty member of any recognised Agriculture University in the rank of professor in the discipline of Horticulture/Floriculture."

NASEEM AHMAD, Commissioner and Secretary to Government Haryana Horticulture and Marketing Department.

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 28th July, 2011

- **No. G.S.R.7/Const/Art.309/2011.-** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture (Group A) Service Rules, 1998, namely:-
 - 1. These rules may be called the Haryana Horticulture (Group A) Service (Amendment) Rules, 2011.
 - 2. In the Haryana Horticulture (Group A) Service Rules, 1998, (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub rule (1), for sub-clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) in the case of Director General.-
 - (i) by promotion from amongst the Additional Director or Joint Director or any equivalent post; or
 - (ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India or any faculty member of any recognized Agricultural University in the rank of Professor in the discipline of Horticulture/Floriculture;

Note:- The Government shall have the discretion to appoint Director General, by promotion or by transfer or deputation.

- (aa) in the case of Additional Director by promotion from amongst he Joint Director or any officer holding equivalent post in Horticulture Department;".
- 3. In the said rules, in Appendix A, for serial number 1 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
"1	Director General	1	-	1	37400-6700 plus Rs.10000/- Grade
					Pay

1A	Additional Director	-	1	1	Rs.15600-39100	plus	Rs.8000/-
					Grade Pay.".		

4. In the said rules, in Appendix B, for serial number 1 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
"1	Director General	-	By Promotion— (i) Ten years experience as Joint Director or ten years combined experience as Additional Director and Joint Director; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education. By Transfer- (A) for officers of State Government or Government of India- (i) M.Sc. (First Class) in Horticulture from recognized university or institution; (ii) Three years experience as Director Horticulture; (B) Faculty member- (i) Professor of Horticulture/ Floriculture of a recognized Agricultural University. (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.
1A	Additional Director	-	(i) Five years experience as Joint Director or on any equivalent post;(ii) Hindi upto Matric standard or higher education.

5. In the said rules, in Appendix C and D, under columns 1 and 2 for serial number 1 and entries thereagainst, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2
"1	Director General
1A	Additional Director."

ROSHAN LAL, Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Agriculture Department.

हरियाणा सरकार

उद्यान एवं विपणन् विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्तूबर, 1998

संख्या सा.का.नि.10/संविधान/अनुच्छेद/309/98.....—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

भाग 1— (सामान्य)

संक्षिप्त नामः

- 1. (1) ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये उनके राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं:

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
- (क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
- (घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था।
- (ड़) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,-
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

- (ii) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्व—विद्यालय;
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हा;
- (च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप क) सेवा।

भाग II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुपः

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे:

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने से सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्रः

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:—
- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत या शरणार्थी, जो पहली जनवरी 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग द्वारा संचालित परीक्षा, साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारों से चरित्र प्रमाण—पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उससे भली—भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयुः

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व मास के प्रथम दिन को या उससे पहले इक्कीस वर्ष की आयु से कम और पैंतिस वर्ष की आयु से अधिक का हो:

परन्तु हरियाणा सरकार, उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष तक होगी।

नियुक्ति प्राधिकारीः

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

अर्हताएं:

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं:

- 8. कोई भी व्यक्ति,---
- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है: या
- (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है:

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की इस संबंध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,:--
- (क) निदेशक की दशा में,---
 - (i) संयुक्त निदेशकों या इसके समकक्ष पद पर कार्य करने वाले अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा; या
 - (iii) किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय की फेकलटी के सदस्यों में से जो उद्यान/फूलों के विषय में प्रोफैसर के स्तर का हो;
- (ख) संयुक्त निदेशक की दशा में,--
 - (i) उप निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा: या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा;
- (ग) उप-निदेशक की दशा में,-
 - (i) 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक, पिंजौर और किशनपुरा (जीन्द), फल विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फूल विशेषज्ञ और राज्य रेशम अधिकारी में से पदोन्नित द्वारा; और
 - (ii) 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;
- (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, अपने अपन संवर्ग में, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षाः

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अविध के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्त अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अविध पूरी होने पर, नियक्त प्राधिकारी,—
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पृष्ट कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शतं अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा—अविध बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अविध की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग—अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम को बदला नहीं जायेगा;

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या
- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपने पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्वः

- 12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगाः
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:-

- (i) कोई कंपनी, संगम या व्याष्टि—निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाह वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है ; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रति—नियुक्त नहीं किया जायेगा।

विभागीय परीक्षाः

13. (1) जब तक सरकार द्वारा छूट नहीं दे दी जाती, सेवा के प्रत्येक सदस्य से, परिवीक्षा अविध के भीतर परिशिष्ट ड में तथा विनिर्दिष्ट लेखा और विभिन्न अन्य नियमों में विभागीय परीक्षा केडिट सहित, पास करनी अपेक्षित होगी:

परन्तु किसी भी अधिकारी से, जो पदोन्नत किया जाता है विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने अपनी ग्रुप ख सेवा के दौरान उसे केडिट सहित पास कर लिया है:

परन्तु यह और कि सरकार, ऐसे लिखित रुप में कारण अभिलिखित करते हुए, विभागीय परीक्षा पास करने के लिए एक वर्ष की अविध बढ़ा सकती हैं:

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, बढाई गई अविध के भीतर भी विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो, सरकार, लिखित रुप में कारण अभिलिखित करते हुए ऐसे अधिकारी को उपरोक्त परीक्षा पास करने से छूट दे सकती है।

- (2) यदि, सेवा में नियुक्त कोई सदस्य विहित अविध से पहले विभागीय परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे सभी वेतनवृद्धियां जो उसे विहित परिवीक्षा अविध की समाप्ति पर, उसे अन्यथा देय होती, अन्तिम तिथि से जिसको विभागीय परीक्षा समाप्त होती है। यह लाभ संचयी प्रकृति का नहीं होगा और बाद वाली वेतनवृद्धियां उसे केवल उस तिथि को देय होंगी जिसको वे अन्यथा देय होनी थी।
- (3) कोई भी वेतनवृद्धि तक तक नहीं रोकी जाएगी जब तक विभागीय परीक्षा पास करने के लिए विहित अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।
- (4) यदि सेवा का कोई सदस्य विहित अवधि के बाद विभागीय परीक्षा पास करता है, तब उससे पश्चातवर्ती अवधि के लिए वेतनवृद्धि जिसके भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, अन्तिम दिन जिसको विभागीय परीक्षा पूरी की जाती है से अगली तिथि से दे दी जाएगी। वेतनवृद्धि उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दे दी जाएगी, किन्तु पिछली अवधि के लिए किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (5) यदि सेवा का कोई सदस्य, विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है और तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा पास करने से छूट दे दी जाती है, तो उससे पश्चातवर्ती अवधि के लिए जिसमें विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, उसकी वेतनवृद्धिया उस तिथि से दी जाएंगी जिससे उसे ऐसी छूट दी गई है। वेतनवृद्धियां उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दे दी जायेंगी, किन्तु पिछली अविध के लिए किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (6) यदि, कोई अधिकारी, विहित अविध या बढ़ाई गई अविध के भीतर विभागीय परीक्षा पास नहीं करता और न ही सरकार, ऐसी परीक्षा पास करने के लिए उसे छूट देती है तो, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी; या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, उसकी पूर्व नियुक्ति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामलेः

14. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिसका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रित होंगे जा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलेंः

15. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिंदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम—9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवानाः

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करें, टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राज्य निष्ठा की शपथः

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देन की शक्ति

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन और शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

20. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों; भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

21. पंजाब कृषि सेवा (श्रेणी—ा) नियम, 1947, या इन नियमों में से किसी के अनुरुप सेवा को लागू कोई अन्य नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:—

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

	परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)							
कम संख्या	,							
1	2	3	4	5	6			
1.	निदेशक उद्यान	1		1	15100-400-18300			
2.	संयुक्त निदेशक उद्यान	_ 1 1		1	10000-325-15200			
3.	उप—निदेशक उद्यान	_	2	2	6500-200-850-द.रा200-10500			

परिशिष्ट ख

	(देखिए नियम 7)								
कम संख्या	पदनाम		सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो						
1	2	3	4						
1.	निदेशक उद्यान		(i) संयुक्त निदेशक या इसके						
			संगकक्ष के रुप में पांच वर्ष का						
			अनुभव;						
			(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का						
			ज्ञान।						
2.	संयुक्त निदेशक		(i) उप-निदेशक या समकक्ष के रुप						
	उद्यान		में पाच वर्ष का अनुभव;						
			(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का						
			ज्ञान।						
3.	उप–निदेशक	(क) किसी मान्यता प्राप्त	(i) जिला उद्यान अधिकारी या						
	उद्यान	विश्व–विद्यालय संस्था से	अधीक्षक उद्यान, पिन्जौर और						

स्नातकोत्तर; (ख) न्यूनतम मल अर्हता प्राप्त करने के पश्चात	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का

परिशिष्ट ग [(देखिए नियम–15(1)]

कम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति का स्वरुप	शस्ति लगाने	अपील
संख्या		प्राधिकारी		के लिए सशक्त	प्राधिकारी
				प्राधिकारी	
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	सरकार	(1) छोटी शस्तियाः	सरकार	
	उद्यान				
2	संयुक्त		(i) वैयक्तिक फाईल		
	निदेशक		(आचरण–पंजी) पर		
	उद्यान		प्रति रखते हुए		
3	उप–निदेशक		चेतावनी;		
	उद्यान				
			(ii) परिनिन्दा;		
			(iii) पदोन्नति रोकना;		
			(iv) आदेशों की उपेक्षा		
			या उल्लंघन द्वारा		
			केन्द्रीय सरकार को या		
			किसी ऐसी कंपनी,		
			तथा संगम या व्यष्टि		
			निकाय चाहे वह		
			निगमित हो या नहीं		
			जिसका पूर्ण या		

अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली, तथा (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना: (2) बड़ी शस्तियांः (i) संचयी प्रभाव से

- वेतन वृद्धियां रोकनाः
- (ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान निम्नतर प्रकम अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं:
- (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड. पद या सेवा पर. ऐसी अवनति सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान. ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था. पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी

अवनत किया गया था	
उस पर बहाली संबंधी	
और उसकी ज्येष्टता	
तथा उस ग्रेड, पद या	
सेवा पर वेतन के बारे	
में शर्तों संबंधी	
अतिरिक्त निदेशों के	
साथ या उनके बिना	
होगा;	
(iv) अनिवार्य सेवा	
निवृति;	
(v) सेवा से हटाया	
जाना जो सरकार के	
अधीन भावी नियोजन	
के लिए निरर्हता नहीं	
होगी;	
(vi) सेवा से पदच्युति	
जो सरकार के अधीन	
भावी नियोजन के लिए	
सामान्यतः निरर्हता	
होगी।	
וויוס	

परिशिष्ट घ [(देखिए नियम—15(2)]

कम	पदनाम	आदेश का स्वरुप		अपील प्राधिकारी
संख्या			लिए सशक्त	
			प्राधिकारी	
1	निदेशक उद्यान	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुक्षेप सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमीं करने या रोकना; या	सरकार	_
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के		
2	संयुक्त निदेशक उद्यान	लिए नियत आयु में होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
3	उप—निदेशक उद्यान			

परिशिष्ट ड़

[(देखिए नियम-13]

विभागीय परीक्षा

1. पाठ्यकमः

- (i) सरकारी संपरीक्षा तथा लेखों का परिचय अध्याय 1,2,6,10 से 20 तथा 21
- (ii) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द I, भाग—I, अध्याय I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV और XV
- (iii) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द II, भाग—I, अध्याय I से VII, IX से XII, भाग—I का अध्याय XIII
- (iv) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द III (सम्पूर्ण)
- (v) वित्त हस्त पुस्तिका संख्या I, खजाना और उप—खजाना नियम, जिल्द I (इसका पूर्ण भाग) जिल्द II, अध्याय II, III, IV (4.1 से 4.81 और 4.168से 4.181) और (परिशिष्ट ख तथा ग)
- (vii) पंजाब वित्त पुस्तिका संख्या II, जिल्द II, परिशिष्ट 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 और 19
- (viii) पंजाब बजट निर्देशिका, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 तथा 15 पैरा 15.5
- (ix) लेखा संहिता, जिल्द I, अध्याय 3, 4, 5 और II

(i) प्रश्नपत्रों की संख्या : एक (ii) अधिकतम अंक : 120

(iii) न्यूनतम अर्हक अंक : 50 प्रतिशत (सहित) कैंडिट

(iv) अनुज्ञात समय : 3 घण्टे

(v) परीक्षा के लिए तिथि तथा समय : जैसे सरकार द्वारा समय-समय

पर

नियत किया जाये।

नसीम अहमद आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उद्यान एवं विपणन विभाग।

भाग III

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2011

संख्या सा0का0िन0 7/संवि0/अनु0 309/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करे के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. यह नियम हरियाणा उद्यान (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2011 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा उद्यान (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप—िनयम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "(क) महानिदेशक की दशा में,-
 - (i) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक या किसी समकक्ष पद में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय में उद्यान/फलौरीकल्चर डिसिप्लेन में आचार्य की पदवी पर किसी संकाय के सदस्य में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

टिप्पणः— सरकार अपनी स्वेच्छा से महानिदेशक को पदोन्नित या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त कर सकती है;";

"(कक) अपर निदेशक की दशा में, संयुक्त निदेशक या उद्यान विभाग में किसी समकक्ष पद धारित किसी अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा;"।

3. उक्त नियम में परिशिष्ट क में, कम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6

		स्थायी	अस्थायी	कुल	
"1	महानिदेशक	1	_	1	रु 37400-67000 जमा रु 10000
					ग्रेड पे
1क	अपर	_	1	1	रु 15600-39100 जमा रु 8000 ग्रेड
	निदेशक				पे।"।

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट ख में, कम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	
"1	महानिदेशक	_	पदोन्नति द्व	ारा—
			(i)	अपर निदेशक के रुप में दस वर्ष का
				अनुभव या अपर निदेशक तथा संयुक्त
				निदेशक के रुप में दस वर्ष का
				संयुक्त अनुभव;
			(ii)	मैद्रिक या उच्च शिक्षा में
				हिन्दी / संस्कृत।
			स्थानान्तरण	द्वारा–
			(क) राज्य स	रकार या भारत सरकार के अधिकारियों
			के लिए—	
			(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या
				संस्था से उद्यान में एम0एससी0
				(प्रथम श्रेणी)
			(ii)	निदेशक उद्यान के रुप में तीन वर्ष
				का अनुभव।
			(iii)	मैद्रिक या उच्च शिक्षा में
				हिन्दी / संस्कृत।
			(ख) फैकलटी	सदस्य–
			(i)	किसी मान्यता प्राप्त कृषि
				विश्वविद्यालय से

				उद्यान/फलोरीकल्वर आचार्य।
			(ii)	मैद्रिक या उच्च शिक्षा में
				हिन्दी / संस्कृत।
1क	अपर	_	(i)	संयुक्त निदेशक के रुप में या किसी
	निदेशक			समकक्ष पद पर पांच वर्ष का अनुभव;
			(ii)	मैद्रिक या उच्च शिक्षा में
				हिन्दी / संस्कृत।''।

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट 'ग' तथा 'घ' में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, कम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"1	महानिदेशक
1क	अपर निदेशक।''।

रोशन लाल, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग।